संख्या डी0डी0ए0–344/2001–आर0डी0डी0–1
हिमाचल प्रदेष सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेषकः

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
हिमाचल प्रदेश,सरकार, शिमला–2

प्रेषितः

1. समस्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
   हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त परियोजना अधिकारी,
   जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
   हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
   हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला–9 अगस्त 2008

विषयः– जलागम कार्यकम के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की गुणवता तथा चिरस्थायित्व सुनिश्चित करने बारे दिशा निर्देश ।

महोदय,

जलागम विकास कार्यकम के कार्यन्वयन तथा किए जा रहे कार्यों के सन्दर्भ में जलागम क्षेत्र से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा जन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कें दौरान निम्नलिखित कमियॉ सामने आई है ।

1. जलागम क्षेत्र के विकास हेतु अनुमोदित कार्य योजना में छोटे–2 व कच्चे प्रकार के कार्य अनुमोदित हुए हैं । इस प्रकार के कार्यों से न तो लोग लाभान्वित हुए हैं और न ही जलागम कार्यकम का प्रभाव क्षेत्र में दिखाई दे रहा है ।

2. कार्य योजना में कार्यों के लिए निर्धारित धनराशि प्राक्कलन के अनुसार नहीं है जिसके फलस्वरूप कार्य की गुणवता सुनिश्चित नहीं की जा रही है ।

3. जलागम क्षेत्रों से सम्बन्धित व्यक्तियों को इस योजना के बारे में जानकारी का अभाव देखा गया है जिसके कारण जलागम कार्यकम के अन्तर्गत किए गए कार्यो से लोग समुचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

4. जलागम क्षेत्र में किये गये कार्यो की समय पर पैमाईश न किये जाने के कारण कायों में सम्मिलित लोगों को भुगतान में विलम्ब किया जाता है ।

5. जलागम क्षेत्र में पौधरोपण हेतु उगाई गई नर्सरी में पौधों की कीमत आदि का निर्धारण न किये जाने के कारण इन नर्सरियों से पौधे नहीं उठाये गये हैं ।

जलागम का मुख्य उदेश्य, जलागम क्षेत्र में रहने वाले लोंगों की जीवीकापार्जन (livelihood) में सहायता देने के लिए जल व बागवानी से सम्बन्धित फलदार पौधों (Horticulture Plantation) का विकास करना है । अतः उपरोक्त कमियों को दूर करने तथा कार्यों की गुणवता एवं जलागम क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर (livelihood) में सुधार लाने में सहायक कार्यो को प्राथमिकता दिये जाने के उदेश्य से निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं ।

1. जलागम क्षेत्र में कार्य की गुणवता सुनिश्चित करने हेतु पक्के व टिकाउ कार्य ही किए जाएं। विशेष तौर पर वर्षा जल संग्रहण से सम्बन्धित बड़े कार्य जैसे चैक डैम, तालाबों आदि के पक्के निर्माण को प्राथमिकता दी जाये जिनसे परम्परागत स्त्रोतों को पुर्नजिवित करने तथा लोगों को पानी की समस्या से छुटकारा व सिचॉई सुविधा मिल सकें । इन कार्य विशेष के लिए धनराशि व्यय करने की अधिकतम सीमा नहीं होगी परन्तु कार्य निर्धारित मापदण्डों एवं उपलब्ध बजट के भीतर होने चाहिए । यदि कार्य योजना में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो जलागम संघ/ग्राम सभा से विचार विर्मश करने के पश्चात संशोधित कार्य योजना का अनुमोदन जिला स्तरीय सलाहकार समिति से करवाया जाये ।
2. मौके की स्थिति के अनुरूप ही कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जाये तथा प्राक्कलन अनुसार ही धनराशि का प्रावधान रखा जाये । परन्तु यह सुनिश्चित कियाजाना भी अनिवार्य होगा कि जलागम विकास के लिए स्वीकृत राशि के भीतर ही धनराशि का प्रावधान किया जाये ।
3. धनराशि की उपलब्धता अनुसार लोगों में जागरूकता एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये जिसके लिए बजट प्रावधानों अनुसार जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजना किया जाए तथा जहॉ जलागम कार्यकम के अन्तर्गत अच्छे कार्य हुए हैं में exposure visit भी किये जा सकते हैं ।
4. किये गये कार्यों की समय पर पैमाईश एवं लोगों को भुगतान सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि जलागम कार्यकम के अन्तर्गत किये गये कार्यों की पैमाइश के लिए निर्धारित सीमा अनुसार तकनीकी सहायकों की

सेवाएं ली जाये ताकि लोगों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। तकनीकी सहायकों को उनकी अधिसूचना के अन्तर्गत किए गए प्रावधानों अनुसार service charges की अदायगी जलागम विकास कार्यक्रम के प्रशासनिक व्यय मद में से की जायेगी ।

5. जलागम कार्यक्रम के अन्तर्गत जलागम क्षेत्र में कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाई गई नर्सरियों में से पौधों की आपूर्ति हेतु दरों का निर्धारण किया जाये ताकि कार्यक्रम के अन्तर्गत उगाये गये पौधों का पौधरोपण हो सके तथा नर्सरियों पर व्यय की गई राशि का सदुपयोग भी सुनिश्चित किया जा सके । भविष्य में पौधों की मांग अनुसार पौधरोपण हेतु नर्सरियों अथवा बन व बागवानी विभागों से पौधो की खरीद तथा निजि नर्सरियों से पौधे क्रय करने हेतू आवश्यक निति निर्धारित की जाए तथा जहॉ से भी पौधे क्रय किये जाने हैं की किस्म तथा मांग अनुसार सम्बन्धित विभागों/व्यक्तियों से अनुबन्ध किया जाए ताकि पौधों की आपूर्ति के साथ साथ नर्सरी में उगाये गय पौधों की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सके । जलागम क्षेत्र में Horticulture व Fodder plants ही दिए जायें जिससे भविष्य में जीविकापोर्जन में सहायता मिल सकें । Wood plants जैसे चीड़ इत्यादि जलागम योजना में न लगाए जायें ।

6. जो भी कार्य जलागम क्षेत्र में किये जाये उनके फोटोग्राफस, व्यय राशि, लाभान्वित परिवारों आदि का विवरण भी परियोजना कार्यन्वयन एजैन्सी (PIA) कार्यालय में रखा जाये ।

अतः आपसे निवेदन किया जाता है कि जलागम क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों की गुणवता, चिरस्थायित्व एवं जलागम क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उदेश्य की पूर्ती हेतू उपरोक्त दिशा निर्देशों अनुसार आवश्यक पग उठाने की कृपा करें । इस पत्र की प्रति सम्बन्धित पंचायतों/जलागम संघों को भी भेजें ।

भवदीय,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
हिमाचल प्रदेश सरकार,

शिमला–171009